न्यायालय में श्रीमान् सदस्य महोदय, रेवन्यू बोर्ड ग्वालियर (म0प्र0)

514

III/निगरानी/उमरिया/भू.रा/2018/1377

1. सूरज आत्मज मंहगू कोल
2. शुद्धू आत्मज बब्बू बैगा

दोनों निवासी ग्राम देवगवां थाना व तहसील पाली
जिला उमरिया (म0प्र0)

——निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती अनवरी बी, पत्नी श्री लाला अब्दुल सत्तार
 निवासी इतवारी मोहल्ला शहडोल, तहसील सोहागपुर
 थाना व जिला शहडोल (म0प्र0)
2. म0प्र0राज्य

—— गैर निगरानीकर्ता

श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील पाली जिला उमरिया के रा0प्र0क्र0 30/अ–74/17–18 में पारित आदेश दिनांक 15.12.17 के विरूद्ध राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0कानून माल

मान्यवर,

निगरानीकार निम्नलिखित निवेदन करते है :–

निगरानी के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता ग्राम देवगवां के पुस्तैनी वासिंदा है तथा आदिवासी वर्ग के व्यक्ति होकर कृषि कार्य कर जीवन यापन करते है। गैर निगराकार के पट्टे कब्जे दखल की कोई भूमि निगरानीकर्ता एवं शासन की भूमि क्र0 141 एवं 144 स्थित मौजा देवगवां थाना व तहसील पाली के चतुरसीमा में स्थित नहीं है। वक्त अधिकार अभिलेख गैर निगराकार क्र0 1 के हक पूर्वाधिकारी नारायण प्रसाद, बालमुकुन्द, आंनदराम सभी आत्मज गनपतराम ब्रा0 निवासी सोहागपुर थाना व तहसील सोहागपुर जिला शहडोल (म0प्र0) के कब्जे दखल एवं मालिकाना हक की कोई भूमि स्थित नहीं है, उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र क्र0 799, 801, निष्पादित दिनांक 17.08.2009 के द्वारा आराजी क्र0 143 रकबा 3.18 एकड़ का झूठा विक्रय पत्र गैर निगराकार क्र0 1 को किया गया है परन्तु मौके से कोई कब्जा नहीं दिया गया है। इस पंजीकृत विक्रय पत्र की चतुरसीमा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- दो/निग./उमरिया/भू.रा./2018/1377

सूरज व अन्य विरूद्ध श्रीमती अनवरी व म.प्र. राज्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार पाली, जिला-उमरिया के प्रकरण क्रमांक-30/अ-74/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 15-12-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक ~~06.03.2018~~ 24.02.2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार, जिला-उमरिया के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर उमरिया के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

11.01.19

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर उमरिया को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.01.19
सदस्य